न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 84/2022

1 महावीर प्रसाद पुत्र मंगलचन्द उर्फ मंगलाराम, जाति जाट, निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 छोटी पुत्री मंगलचन्द स्त्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल निवासी कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नाहर सिंह पुत्र मंगलचन्द जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 सुभिता पुत्री मंगलचन्द स्त्री विधाधर जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल निवासी केमरी की ढ़ाणी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नवलगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक।
4 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.09.2020 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू मुकदमा उनवानी नाहर सिंह बनाम महावीर प्रसाद मु.नं. 167/2019 दावा बाबत विभाजन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 85/2022

1 महावीर प्रसाद पुत्र मंगलचन्द उर्फ मंगलाराम जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 छोटी पुत्री मंगलचन्द स्त्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल निवासी कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नाहर सिंह पुत्र मंगलचन्द जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 सुमिता पुत्री मंगलचन्द स्त्री विधाधर जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल निवासी केमरी की ढ़ाणी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नवलगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक।
4 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम
डिक्री दिनांक 02.02.2021 व सशोधित आदेश दिनांक 05.07.2021
एवं 20.07.2021 बअदालत उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू मुकदमा उनवानी नाहर सिंह
बनाम महावीर प्रसाद मु.नं. 167/2019 दावा बाबत विभाजन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

–निर्णय–

दिनांकः– 18-1-22

यह दोनो अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 167/2019 में पारित निर्णय दिनांक 08.09.2020 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 02.02.2021 व संशोधित आदेश दिनांक 05.07.2021 एवं 20.07.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से दोनो पत्रावलियों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनो पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें। प्रकरण में उभयपक्ष को धारा 5 व स्थगन पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की सम्यक तामील हुये बिना, अपीलांट की तामील आदेश 5 नियम 17 से 20 के प्रावधानों के अनुरूप नही होते हुये भी विचाराधीन निर्णय व डिक्री एक पक्षीय रूप से पारित की गई है। इसकी अपीलांट को जानकारी नही थी न्यायहित को दृष्टिगत रखते अपील को मियाद में शूमार किया जाकर डिले कन्डोन किया जाकर स्थगन जारी रखा जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट को निर्णय व डिक्री की हमेशा से जानकारी रही है। अपीलांट की मौजुदगी मे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर खाता विभाजन किया गया है। मुताबिक कब्जे के विभाजन में जमीन दी गई है। निर्णय व अंतिम डिक्री की एक वर्ष से अधिक समय के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

बाद अपील प्रस्तुत की गई है। विभाजन होने के बाद आराजी हाल खसरा नमबर 1728/1700 रकबा 0.1225 हैक्टेयर मौजा रघुनाथपुरा का रेस्पोडेंट संख्या 1 ने वाणिज्क प्रयोजनार्थ के लिए संपरिवर्तन करवाकर भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड से 23.05.2022 को लीज एग्रीमेन्ट 19 वर्ष 11 माह के लिए किया और उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर कम्पनी पेट्रोल पम्प स्थापित करना शुरू किया तथा अधिकांश निर्माण कर लिया तब अपीलांट ने जानबूझकर नुकसान कारित करने के उद्देश्य से यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट्स की अपील मियाद बाहर है। देरी का कोई समुचित कारण दर्ज नही किया है। जानकारी का आधार दिनांक 23.05.2022 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर दर्ज किया है। उक्त तिथि को पटवारी हल्का ने उपरोक्त बात कब कहां और क्यो बताई यह दर्ज नही है। पटवारी हल्का का नाम तक दर्ज नही किया गया है। अपीलांट्स की तामील मुताबिक कानून पर्याप्त है। तामील कुनिन्दा व इन्कारी के गवाहान के खिलाफ कोई आरोप नही लगाये है। आराजी हाल खसरा नम्बर 1728/1700 रकबा 0.1225 रकबा 0.1225 हैक्टेयर वाणिज्य प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तित हो चुकी है और इस भूमि की किस्म प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के रोज कृषि भूमि नही थी ऐसी सूरत में उक्त खसरा नम्बर 1728/1700 सरहद मौजा रघुनाथपुरा के सम्बंध मे सुनवाई का क्षेत्राधिका अदालत हाजा को नही है। अपीलांट्स महावीर प्रसाद ने अदालत मातहत के यहां प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी उनवानी महावीर प्रसाद बनाम नाहर सिंह मुकदमा नम्बर 31/2022 को पेश किया है और उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी व अपील में जानकारी के तथ्य विरोधाभाषी दर्ज किये है। अपील में दिनांक 23.05.2022 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर जानकारी होना दर्ज कर दिनांक 27.05.2022 को नकल मिलान दर्ज किया है जब कि प्रार्थना पत्र में इसके विपरित तथ्य दर्ज है। अत अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा विचाराधीन निर्णय के विरूद्व विचारण न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 का आवेदन प्रस्तुत कर रखा है एवं प्रस्तुत अपील में भी सम्यक तामील नही होने का बिन्दु अपीलांट द्वारा उठाया गया है। विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि तामील का बिन्दु विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 13 के आवेदन में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

परिक्षित किया जायेगा। तामील का बिन्दु अपील के स्तर पर विचारणीय नही है। जहां तक अपील की मियाद के बिन्दु का प्रश्न है इस बिन्दु पर अपीलांट द्वारा विरोधाभाषी कथन किये गये है। अपीलांट्स महावीर प्रसाद ने अदालत मातहत के यहां प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी उनवानी महावीर प्रसाद बनाम नाहर सिंह मुकदमा नम्बर 31/2022 को पेश किया है और उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी व अपील में जानकारी के तथ्य विरोधाभाषी दर्ज किये है। अपील में दिनांक 23.05.2022 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर जानकारी होना दर्ज कर दिनांक 27.05.2022 को नकल मिलान दर्ज किया है जब कि प्रार्थना पत्र में इसके विपरित तथ्य दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के कथन सदभावी नही माने जा सकते है अपीलांट का आवेदन धारा 5 स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 1-5-12 .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर